

TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION-3, SUB SECTION (ii) OF THE
GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE



सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय राजस्व भवन, क्वींस रोड, बेंगलुरु-560 001
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS,
C.R.BUILDINGS, QUEEN'S ROAD, BANGALORE - 560 001


NOTIFICATION No. 01/2014 (N.T.) BANGALORE CUSTOMS DATED:
11.04.2014

In the Notification No. 01/2012 (N.T) dated 09.04.2012 of this office, following amendment are made, namely;

- (1) In para 18, the words and phrases "Now this Notification is issued for extending the custodianship of M/s CWC which is valid for further five years upto 18.02.2016." may be read as "Now this Notification is issued for extending the custodianship of M/s CWC upto 18.02.2016, or until further orders, whichever is earlier."
- (2) In Para 20(I), the words and phrases "*The outsourcing of handling work in the yard by the Custodian through the Strategic Alliance Partnership company shall be limited to*" may be read as "*The outsourcing of handling work in the yard by the Custodian through the Strategic Alliance Partnership company shall be limited to the functions such as:*".

2. All other provisions of the Notification No.01/2012 (N.T) dated 09.04.2012 remain unchanged.

3. This Notification is issued with immediate effect.


(संदीप प्रकाश)
(Sandeep Prakash)
आयुक्त / Commissioner

(Issued from File C.No.VIII/48/45/2000 Cus Tech Part File)

To

The Manager, Government of India Press, Mayapuri Ring Road, New Delhi-110064 (for publication in the Gazette of India) along with Hindi translation.

Copy forwarded to

1. The Secretary, Central Board of Excise & Customs, New Delhi.
2. All the Chief Commissioner of Customs.& Central Excise
3. The Directorate of Inspection, Customs & Central Excise, New Delhi.
4. The Director General of Revenue Intelligence, LP. Estate, New Delhi.
5. The Director of Statistics and Intelligence, I.P. Estate, New Delhi.
6. All Commissioner of Customs and Central Excise.
7. The Under Secretary, CBEC (LC Section/Customs VIII), New Delhi.
8. The Comptroller and Auditor General of India (10 Copies), New Delhi.
9. The Additional Commissioner of Customs/Deputy commissioner/ Assistant Commissioner of Customs in Bangalore Customs Commissionerate.
10. The Deputy Commissioner/ Asst. Commissioner, Customs Division/ ACC/ICD/ PAD, Bangalore.
11. M/s Central Warehousing Corporation, No.9, Mission Road, Bangalore-560 027.
- ✓ 12. Website of Bangalore Customs Commissionerate .

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग



सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय राजस्व भवन, कर्वीस रोड, बेंगलूर-560 001

अधिसूचना सं. 01/2014(एन.टी.)बेंगलूर सीमा शुल्क, दि. 11.04.2014


इस कार्यालय की अधिसूचना सं.01/2012 (एन.टी.) दिनांक 09.04.2012, में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है ;

- (1) पैरा 18 में, "अब यह अधिसूचना मेसर्स सी.डब्ल्यू.सी. को अभिरक्षकता बढ़ाने के लिए जारी किया जा रहा है, जो आगे पाँच वर्ष तक यानी 18.02.2016 तक वैध होगा" शब्द या वाक्यों को "अब यह अधिसूचना मेसर्स सी.डब्ल्यू.सी. को अभिरक्षकता बढ़ाने के लिए जारी किया जा रहा है, जो आगे पाँच वर्ष तक यानी 18.02.2016 तक, या आगे के आदेश तक, जो भी पहले हो" पढ़ें ।
- (2) पैरा 20(आई) में, "स्ट्रैटजिक अलियान्स पार्टनरशिप कंपनी के जरिए अभिरक्षक द्वारा यार्ड में बाहरी स्रोत से सेवाओं को संभालने का कार्य सीमित होगा" को "स्ट्रैटजिक अलियान्स पार्टनरशिप कंपनी के जरिए अभिरक्षक द्वारा यार्ड में बाहरी स्रोत से सेवाओं को संभालने का कार्य सीमित होगा जैसा कि:" पढ़ें ।

2. अधिसूचना सं. 01/2012 (एन.टी.), दि. 09.04.2012 के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित

रहेंगे ।

3. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से जारी की जाती है ।


(संदीप प्रकाश)
आयुक्त

(मिसिल सं. VIII/48/45/2000 सी.शु. तक. खण्ड मिसिल से जारी किया गया है । /

सेवा में,

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी रिंग रोड, नई दिल्ली-110064
(भारत के राजपत्र के प्रकाशनार्थ) हिंदी अनुवाद के साथ ।

प्रतिलिपि अग्रेषित;

1. सचिव, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली ।
2. सभी मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क
3. निरीक्षण महानिदेशालय, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, नई दिल्ली ।
4. महानिदेशक, राजस्व आसूचना, एल.पी.इस्टेट, नई दिल्ली ।
5. सांख्यिकी और आसूचना निदेशक, एल.पी.इस्टेट, नई दिल्ली ।
6. सभी आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ।
7. अवर सचिव, सी.बी.ई.सी. (एल.सी.अनुभाग/सीमा शुल्क VIII), नई दिल्ली ।
8. अवर सचिव, सी.बी.ई.सी. (एल.सी.अनुभाग/सीमा शुल्क VIII), नई दिल्ली ।
9. अपर आयुक्त, सीमा शुल्क/ उप आयुक्त / सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, बेंगलूर सीमा शुल्क आयुक्तालय ।
10. उप आयुक्त/सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क मंडल कार्यालय/ए.सी.सी./आई.सी.डी./पी.ए.डी., बेंगलूर ।
11. मेसर्स सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, सं.9, मिशन रोड, बेंगलूर-560 027.
12. बेंगलूर सीमा शुल्क आयुक्तालय के वेबसाइट ।